

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकड़ा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

वाद संख्या : 129 / 2020-21 2017
लेख्य प्रकार - सहायक जमादार


03/11/20

अभिलेख का संधारण E-Court (Revenue) में लंबित वाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त वाद से संबंधित अभिलेख का संधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के मध्य भवन में हस्तांतरण के क्रम में अभिलेखक अन्यत्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सृजन किया गया। अपर सनाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निर्देशन भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं0-03-खा0न0 नोति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह प्रतिष्ठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुसूची/निर्देश के अनुपालन में गै0 न0 खास भूमि के विरुद्ध कायम की गई जमाबंदीयों को जाँच के क्रम में राजस्व उप नि0 एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत् गै0 न0 खास भूमि की जमाबंदी कायम है।

गाम	खाता	खंत्तरा	रकबा	जमाबंदीदार रयत का नाम	पंजी-2 का पृ0सं0/भाग
कोनहारवा	01	-	0.54	राधा कृष्ण पिता हरप्र कृष्ण	95/1

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त वर्णित जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।


अतः संबंधित को संधारित जमाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23/11/20 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
बरकड़ा

23/11/20

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तानिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/सं0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074, दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में जाँच की गई। जमाबंदीदार रयतों द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1948 से पूर्व का हुकुमनामा, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये बंटोयस्ती संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) में विहित प्रावधानुसार जमाबंदी सं0. 95/1 बनाने का निर्देश किया जा रहा है। अभिलेख भूमि सुधार उप सनाहर्ता, बरही को भेजे।


अंचल अधिकारी
बरकड़ा

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जांच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम - श्रीमती विभा शिवा देव शिवा

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण - श्री. देव

मौजा	थाना सं०	खता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>श्री. देव</u>	<u>११</u>	<u>१</u>	<u>-</u>	<u>०.५५</u>

3. जमाबंदी पंजी-11 के जिल्द संख्या १ पृष्ठ सं०-१५ पर कायम है -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - १९७६-७९

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खतियान का नाम - श्री. देव

6. किस राक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है - श्री. देव

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम -

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिश्चित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूवदावरी -

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई (मूलभूत जमींदार दास दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी-11

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अतिरिक्त लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	वर्ष	वर्ष
	<u>१६६०१७</u>	<u>२०२०</u>	<u>१९९८-९९</u>


१९/११/२०२०

अविधेय जमाबन्दी से संबंधित आंकड़ों का प्रारंभ पर भरा जाने वाला
चेक लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - ए. पी. ए. - अ. १०८६।
 2. क) अविधेय जमाबन्दीदार का नाम - गणेश बिर्सा सिंह कुंवर बिर्सा
 ग) अविधेय जमाबन्दी की भूमि की विवरणी -

क्रमांक	धाना सं०	खारा सं०	खजाना सं०	रकबा	खतिवानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
<u>क/१०८६/२३६</u>	<u>११</u>	<u>१</u>	<u>-</u>	<u>०.५५</u>	<u>गोबर</u>	<u>गोबर की-फसल की-सं०- दालच की-फसल की-सं०- दालच की-फसल की-सं०- दालच की-फसल की-सं०- दालच की-फसल की-सं०- दालच की-फसल की-सं०- दालच की-फसल की-सं०- दालच की-फसल की-सं०-</u>

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप - खाली
 4. अविधेय जमाबन्दी पंजी ॥ में कब से संधारित है - १९७६-७९ से
 5. उक्त जमाबन्दी पंजी ॥ में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम - आदेश-द्वारा नहीं है।
 (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।)
 6. नामान्तरण/दाखिल - - खारिज उपरान्त संधारित जमाबन्दी के नामों में मूल जमाबन्दी रजिस्टर की विवरणी -
 7. अविधेय जमाबन्दी कायम किये जाने का आधार
 i) अनिश्चित सादा हुकुमनामा
 ii) जमान निर्धारण तथा उसका दर्प (वाद सं० एवं पारित आदेशानुसार)
 iii) अविधेय भू-बन्दोवस्ती (वाद सं० के साथ)
 8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादन पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये कम या इससे अधिक)
 9. अविधेय जमाबन्दी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है -
 i) भूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से -
 ii) अंचल / अनुमंडल में संधारित बन्दोवस्ती पंजी से -
 iii) दाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नामांतरण पंजी से -
 10. क) अविधेय जमाबन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है? नहीं
 11. क्या दिनांक दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदार रसीद तथा उसके बाद सचकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? नहीं
 12. वर्ष 1954-55 में हुए फिरोज मुझारत पंजी में कबल कच्चा अविधेय जमाबन्दीदार अथवा उनका पूर्वजों का नाम अंकित था? नहीं
 13. राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुरंसा सहित - गोबर की-फसल की-सं०-
दालच की-फसल की-सं०-
दालच की-फसल की-सं०-
दालच की-फसल की-सं०-
दालच की-फसल की-सं०-
दालच की-फसल की-सं०-
दालच की-फसल की-सं०-
 14. अविधेय निरीक्षक का स्थलाय जाँचोपरांत मनाय्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन - गोबर की-फसल की-सं०-
दालच की-फसल की-सं०-
दालच की-फसल की-सं०-
दालच की-फसल की-सं०-
दालच की-फसल की-सं०-
दालच की-फसल की-सं०-
दालच की-फसल की-सं०-

अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उपरमाहर्ता, अनुमंडल मद्रास, अपर सनाइत, जमाबन्दी

सं० ६३३३३ के अन्तर्गत
 अविधेय जमाबन्दी का प्रारंभ करने वाले
 'दालच' की-फसल की-सं०-
 या अन्य की-फसल की-सं०-
 के अन्तर्गत